भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 325 का उत्तर

दक्षिण रेलवे में रेल नेटवर्क का विस्तार

***325. श्री सी. एन. अन्नादुरई:**
श्री जी. सेल्वम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य/क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की योजना है;
(घ) योजनाबद्ध या विचाराधीन नए मार्गों सहित देश भर में रेल नेटवर्क के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं;
(ङ) रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए क्षेत्रों या मार्गों की पहचान करने और इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रयुक्त मानदंड क्या हैं;
(च) क्या तमिलनाडु में वर्तमान में रेल सुविधा से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) दक्षिण रेलवे में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 18.12.2024 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 325 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर रेल परियोजनाओं/कार्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों का प्राप्त होना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केन्द्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर इन पर कार्रवाई की जाती है।

रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किए जाते हैं न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व, क्षेत्रीय संपर्कता में कमियों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। परियोजना को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और अपेक्षित अनुमोदनों जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए की लागत पर 44,488 कि.मी. कुल लंबाई वाली 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 12,045 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है तथा मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सार इस प्रकार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	187	20199	2855	160022
आमान परिवर्तन	40	4719	2972	18706
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	261	19570	6218	113742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

भारतीय रेल पर नए रेलपथों को कमीशन करने/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रतिदिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सावर्जनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

पिछले 05 वर्षों के दौरान अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, भारतीय रेल में कुल 9,430 किलोमीटर लंबाई की 232 परियोजनाओं (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत लगभग 1,71,646 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, कुल 64,928 किलोमीटर लंबाई के 991 सर्वेक्षण (307 नई लाइन, 15 आमान परिवर्तन और 669 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) का शुभारंभ किए जाने से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं के योजना निर्माण और निष्पादन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों के बीच सहयोग के माध्यम से रेलवे, पोत परिवहन, सड़क मार्गों, दूरसंचार, पाइपलाइनों आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया है, जिससे परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में तेजी आई है और साथ ही तीव्र गति से योजना बनाई जा सकी है।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया है और अब एकीकृत योजना बनाने, संभार तंत्र दक्षता में वृद्धि और सामरिक महत्व के स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, विद्युत संयंत्रों, गांवों आदि से संपर्कता स्थापित करने सहित लोगों, माल/पण्यों जैसे कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि तथा सेवाओं की निर्बाध आवाजाही हेतु बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल संपर्कता अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अंतर्गत सभी नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 33,467 करोड़ रु. की लागत की 2,587 कि.मी. कुल लंबाई वाली 22 रेल परियोजनाएं (10 नई लाइनें, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 665 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 7,153 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	10	872	24	1223
आमान परिवर्तन	3	748	604	3267
दोहरीकरण/ मल्टी ट्रैकिंग	9	967	37	2664
कुल	22	2587	665	7153

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	6,362 करोड़ रु. (7 गुना से अधिक)

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है लेकिन परियोजना का निष्पादन शीघ्र भूमि अधिग्रहण की गति पर निर्भर करता है। रेलवे राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है और रेल परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण रुका पड़ा है। तमिलनाडु राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार हैः

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल भूमि की आवश्यकता	3389 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	866 हेक्टेयर (26%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, तथापि सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई हैं, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	टिण्डीवनम-तिरुवण्णामलै नई लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2.	अत्तिपट्टु-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3.	मोरप्पूर-धर्मपुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4.	मन्नारगुडी-पट्टुक्कोट्टै (41 कि.मी.)	152	0	152
5.	तंजावूर- पट्टुक्कोट्टै (52 कि.मी.)	196	0	196

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 932 करोड़ रुपये की लागत की कुल 75 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 04 परियोजनाओं (01 नई लाइन और 03 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से अन्य बातों के साथ-साथ, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ेगी।

पिछले पांच वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 2252 किलोमीटर लंबाई की कुल 26 परियोजनाओं (04 नई लाइन और 22 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना करना (ii) परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओँ हेतु निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी एवं वन्यजीवन संबंधी मंजूरी हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों का समाधान करना शामिल है। इससे वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****